

अज्ञ अवालत

सायत

मुकाम

बनाम माला राम वर्मा

पुरा राम वर्मा

किस मुकदमा

राम ११ ३१/१११

नं

३१/१९

सन् २०१९

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/01/19	<p>पार्श्व/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुन्ध सिंह चौधरी ने सह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान कायतकारी/भू सजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेसपोडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलाब होकर मन्नावली वास्ते जवाब दिनांक 13/02/19 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) सायत</p>
13/02/19	<p>पार्श्व वकील उपस्थित। प्रार्थनागियों के नोटिस तामील खुदा गालत जिसे शामिल मन्नावली रीया गया। प्रार्थनागियों कावजुड तामील कुवउपस्थित। सापान प्रोगामान अधिकारी विगत इयारे में वास्ते होने में तिकाल इतिहास की हूट आगामी दिनांक 10/04/19 को पेश हो।</p>	
10/04/19	<p>पार्श्व वकील उपस्थित। प्रार्थनागियों कावजुड तामील कुवउपस्थित। न्यायालय कक्ष तीय वात आवाज लकार गरी इतिहास आवाज 5:45 PM वा लकार गरी प्रार्थनागियों लक्ष्य मा इतरी सात में को इतिहास उपस्थित नहीं हुआ। लिहाज इतरे तिकड एडत(मा)</p>	

कार्यवाही समल में लाई जाती है। पार्टी के अधिकार
की एकपक्षीय बहाल हुनी गई, पार्टी के अधिकार
ने बहाल की पार्टी को अपने प्रादेशी क्षेत्रों के
चारों ओर पक्के नेचम स्थापित करवाना आवश्यक
है इसलिए पार्टी का नेचमबन्दी कावेडन स्वीकार
कीया जाउर नेचमबन्दी कोश कीया जावे।

कल: पार्टी अधिकार के निवेदन
पर पार्टी का नेचमबन्दी कावेडन स्वीकार कीया
जाउर तदनुसार वास्तु को इतिहास निशुक्ल कीया
जावा है व कोश दिया जावा है कि कायत्वमं
या अपने अधिकार कीती भी भूषणमिलेय निरिधुत
से पार्टी के प्रादेशी क्षेत्रों की पक्की नेचमबन्दी
मोते पर शुद्ध जमा कराउर करे, पालना रिपोर्ट जाल
होने पर वासिल पभावली है, पभावली फैसल सुमार
है, दर्ज नम्बर से कम है दायिल दमल है।

10.4.2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 181

दिनांक:- 10/4/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मालाराम पुत्र निम्बाराम वगैरा 15
जाति जाट निवासी किसने का तला,
बाटाडू तहसील बायतु जिला बाडमेर

1. पूराराम पुत्र सालगाराम जाति जाट वगैरा 36
निवासी किसने का तला, बाटाडू
तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 31/19

आदेश

मौजा किसने का तला पटवार हल्का बाटाडू तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1899, 1900 रकबा क्रमशः 0-12, 164-00 बीघा कुल रकबा 164-12 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भू-अ.निरिक्षक से प्रार्थीगण के खोतेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

29/10.4.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 10/4/19 बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 182-186

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री मालाराम पुत्र निम्बाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण पूराराम पुत्र श्री सालगाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना गिडा

29/10.4.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु